**न्यायालयः- अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 02 जिला अजमेर (राज.)**

**कमलेश मण्डोलिया एडवोकेट बनाम विकास दिव्यकीर्ति**

**फौजदारी परिवाद संख्या- 1991/2025**

**दिनांक- 08-07-2025**

परिवादी कमलेश मंडोलिया मय अधिवक्ता श्री राजकुमार रावत हाजिर अदालत। आरोपी विकास दिव्यकीर्ति स्वंय उप0 नहीं, की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष कुमार खण्डेलवाल हाजिर अदालत। हस्तगत प्रकरण में बहस प्रसंज्ञान विगत पेशी पर सुनी जा चुकी है। पत्रावली आज आदेश हेतु मुकर्रर है।

गौरतलब है कि दौराने बहस योग्य अधिवक्ता परिवादी पक्ष की ओर से अपने परिवाद पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहराव करते हुए सार रूप में यही तर्क प्रस्तुत किया है कि परिवाद पत्र के समर्थन में प्रस्तुत मौखिक सरसरी साक्ष्य तथा इलैक्ट्रॉनिक साक्ष्य से **आरोपी विकास दिव्यकीर्ति के खिलाफ अपराध अंतर्गत धारा 353(2), 356(2),(3) भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं धारा 66 ए (बी) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम,** 2000 में प्रथमदृष्टया बनता है इसलिए परिवाद पत्र के मुताबिक आरोपी के विरूद्ध अपराध का प्रसंज्ञान लिए जाने का निवेदन किया।

**जबकि अभियुक्त पक्ष की ओर से दफा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,** 2023 के अनुक्रम में उसे जारी स्पष्टीकरण पत्र की अनुपालना में अपना लिखित स्पष्टीकरण/पक्ष शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत कर दौराने बहस इसमें वर्णित तथ्यों का दोहराव किया हैं सुविधा की दृष्टि से उक्त स्पष्टीकरण का ज्यों का त्यों उद्धहरण यहाँ किया जा रहा हैः-

**I. Preliminary Submissions**

1. That the present affidavit is being submitted in response to the Show Cause Notice dated 06.06.2025, received on 09.06.2025, issued under Section 223 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 in compliance with the Hon'ble Court's order dated 05.06.2025 in the above–captioned matter.

2. That I most respectfully deny the allegations and imputations contained in the Complaint titled "Kamlesh Mandoliya v. Vikas Divyakirti", bearing CIS No. 1991/2025, which are baseless, misconceived, and unsustainable in law.

3. The Deponent has a respectable standing in society, both domestically and internationally, as an educator. This does not for a moment suggest that the Deponent is above the law; however, attempts such as the present one to gain popularity by misusing the legal process against a public figure should not be allowed to succeed.

**II. Absence of Involvement or Publication**

4. I categorically submit that I have no connection, control, or involvement with the YouTube channel which has uploaded the alleged offending video (available https://youtu.be/g10h5xk8J88?feature= shared).

5. The said video was neither published nor authorized by Drishti IAS or any person acting on my behalf. It appears to have been extracted and uploaded by an unaffiliated third party without my knowledge or consent.

6. Drishti IAS strictly disseminates educational content through verified and official platforms. The authenticity of the

impugned video is questionable and appears to be edited, which itself undermines its credibility.

7. I reserve my right to initiate appropriate legal proceedings against the illegal and unauthorized circulation of such content by unrelated third parties.

## III. Absence of Defamation or Criminal Intent

8. No specific individual, including the Complainant, has been referred to in the said video. The remarks made therein are general observations about public institutions and do not amount to defamation under Section 356(1) of BNS, 2023.

9. Section 356(1) clearly requires an imputation "concerning any person" intended to harm their reputation. In this case, no such imputation exists.

10. The Complainant lacks locus standi as an "aggrieved person" under the statute, and the Complaint is therefore liable to be dismissed at the very outset since the Complainant has not been personally referred to or identified in the subject matter content, nor has any specific class or community to which he demonstrably belongs to, been targeted.

## IV. Commentary on Public Issues – Protected Speech

11. The subject content reflects general commentary on matters of public administration and judicial appointments, which are issues of public interest and form part of constitutionally protected freedom of speech and expression.

12. The views expressed were either personal observations or academic reflections, devoid of malice or defamatory intent.

13. No specific group or identifiable class has been targeted. Even institutions such as the Judiciary or Civil Services are not considered "communities" under the defamation framework of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, as clarified by Explanation 4 to Section 356.

**V. Failure to Satisfy Essential Ingredients of Offence**

14. There is a complete absence of publication through me or my organization. There is no intention to harm anyone's reputation and no actual damage to the reputation of the Complainant has been demonstrated.

15. The Complaint does not disclose a cause of action and fails to establish the statutory requirements of Sections 353(2) and 356 of the BNS. It is thus liable to be dismissed summarily.

**VI. Additional Submissions**

16. No Mens Rea (Criminal Intent): It is well-settled that criminal liability, particularly in defamation cases, requires mens rea—an intention to cause harm. No such intent can be attributed to the deponent. Even if the statements are hypothetically attributed to the deponent, they were made in good faith, without any intent to defame.

17. Educational and Analytical Context: The alleged content—whether verbatim or edited—relates to discussion of systemic aspects of public administration and is part of a broader effort to educate and generate informed debate. Mere reference to institutions or systems in academic critique does not attract criminality.

18. Misuse of Legal Process: The present complaint appears to be a calculated attempt to malign the deponent for personal or political mileage and to seek publicity. The absence of harm or even

identification of the Complainant in the content underscores the frivolous nature of the allegations.

19. Legal Precedents Protecting Speech: It is pertinent to note that in Subramanian Swamy v. Union of India, (2016) 7 SCC 221, the Hon'ble Supreme Court held that laws on defamation must be balanced with Article 19(1)(a), and that criticism of public institutions or policies cannot be suppressed by invoking criminal prosecution.

अपनी दलीलों के समर्थन में निम्नांकित न्यायदृष्टांत भी पेश किये गये हैंः–

1. **IVECO MAGIRUS BRANDSCHUTZTECHNIK GMBH Versus NIRMAL KISHORE BHARTIYA AND ANOTHER (2024) 2 Supreme Court Cases 86.**

2. **S. KHUSHBOO Versus KANNIAMMAL AND ANOTHER (2010) 5 Supreme Court Cases 600.**

**आरोपी पक्ष** की ओर से दिनांक 05–07–2025 को लिखित बहस भी परिवादी पक्ष को प्रति देते हुए पेश की है जिसमें निम्नांकित आधार लिए गए हैंः–

The present Written Submissions are being submitted on behalf of the Respondent in furtherance of the directions issued by this Hon'ble Court on the last date of hearing in the matter, i.e. 01.07.2025. The captioned complaint has been lodged by the Complainant herein alleging the commission of offences under 353(2), 356(2) (3) of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 and Section 66 A(B) of the Information Technology Act, 2000 before this Hon'ble Court. On the last date of hearing, an Affidavit in Reply was filed on behalf of the Respondent in response to the Show Cause Notice dated

06.06.2025 issued to the Respondent u/s 223 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, in furtherance of the Complaint filed in the present matter. The following grounds are raised by the Respondent to contest and deny the allegations of the Complainant:

**ABSENCE OF INVOLVEMENT OR PUBLICATION**

It is submitted that the Respondent has no connection, control, or involvement with the YouTube channel which has uploaded the alleged offending video (available at: https://youtu.be/g10h5xk8J88?feature=shared). The said video was neither published nor authorized by Drishti IAS or any person acting on the Respondent's behalf. It appears to have been extracted and uploaded by an unaffiliated third party without the Respondent's knowledge or consent. Drishti IAS strictly disseminates educational content through verified and official platforms. The authenticity of the impugned video is questionable and appears to be edited, which itself undermines its credibility. Furthermore, the subject matter video appears to be strategically edited and uploaded with a catchy headline without the consent/authorization of the Respondent. Thus, the content within the said video ceases to be authentic, reliable or attributable to the Respondent or his renowned establishment.

**THE COMPLAINANT LACKS LOCUS STANDI AS AN "AGGRIEVED PERSON" UNDER THE BHARTIYA NYAYA SANHITA, 2023**

It is pertinent to note that no specific individual, including the Complainant, has been referred to in the said video. The remarks made therein are general observations about public institutions and do not amount to defamation

under Section 356(1) of BNS, 2023. Section 356(1) clearly requires an imputation "concerning any person" intended to harm their reputation. In this case, no such imputation exists. Therefore, the Complainant lacks locus standi as an "aggrieved person" under the statute, and the Complaint is therefore liable to be dismissed at the very outset. Reliance is placed on the judgment passed by the **Hon'ble Supreme Court in 'S. Khusbhoo v. Kanniammal & Anr.' reported as (2010) 5 SCC 600, wherein it has been held as under:**

***37.*** *It may be reiterated here that in respect of the offence of defamation, Section 199 Cr.PC mandates that the Magistrate can take cognizance of the offence only upon receiving a complaint by a person who is aggrieved. This limitation on the power to take cognizance of defamation serves the rational purpose of discouraging the filing of frivolous complaints which would otherwise clog the Magistrate's Courts. There is of course some room for complaints to be brought by persons other than those who are aggrieved, for instance when the aggrieved person has passed away or is otherwise unable to initiate legal proceedings. However, in given facts of the present case, we are unable to see how the complainants can be properly described as 'persons aggrieved within the meaning of Section 199(1)(b) Cr.PC. As explained earlier, there was no specific legal injury caused to any of the complainants since the appellant's remarks were not directed at any individual or a readily identifiable group of people.*

***38.*** *In M.S. Jayaraj Vs. Commissioner of Excise, Kerala & Ors., (2000) 7 SCC 552, this Court observed as under:*
*"The 'person aggrieved' means a person who is wrongfully deprived of his entitlement which he is legally entitled to receive and it does not include any kind of disappointment or personal inconvenience. 'Person aggrieved' means a person who is injured or one who is adversely affected in a legal sense."*

Furthermore, the **Hon'ble Supreme Court in 'G. Narasimhan & Ors. v. T.V. Chokkappa' reported as (1972) 2 SCC 680 wherein has been held as under:**

*14. On these contentions, the principal question for determination is whether the respondent could be said to be an aggrieved person entitled to maintain the complaint within the meaning of s. 198 of the Code. That section lays down that no magistrate shall take cognizance of an offence falling inter alia under Ch. XXI of the Penal Code (that is, ss. 499 to 502) except upon a complaint made by some persons aggrieved of such offence. Sec. 198, thus, lays down an exception to the general rule that a complaint 'can be filed by anybody whether he is an aggrieved person or not and modifies that rule by permitting only an aggrieved person to move a magistrate in cases of defamation. The section is mandatory, so that if a magistrate were to take cognizance of the, offence of defamation on a complaint filed by one who is not an aggrieved person, the trial and conviction of an accused in such a case by the magistrate would be void and illegal.*

In view of the above, the Complainant herein is not entitled to initiate any proceedings out of the present subject matter since the Complaint fails to establish any imputation made in the subject matter content specifically against the Complainant, or against an identifiable group/community/class of individuals, recognised under the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023, which the Complainant belongs to, or against any individual who authorised the Complainant to initiate such proceedings on their behalf. Mere disagreement or negative feelings that may have arisen within the Complainant towards the subject matter video cannot sufficiently establish his locus standi and the ingredients of an aggrieved person under the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023.

**FAILURE TO SATISFY ESSENTIAL INGREDIENTS OF THE OFFENCES ALLEGED**

It is submitted that there is a complete absence of publication through the Respondent or his organization. There is no intention to harm anyone's reputation and no actual

damage to the reputation of the Complainant has been demonstrated. Therefore, the Complaint does not disclose a cause of action and fails to establish the statutory requirements of Sections 353(2) and 356 of the BNS. It is thus liable to be dismissed summarily. Additionally, it is well-settled that criminal liability, particularly in defamation cases, requires mens rea—an intention to cause harm. No such intent can be attributed to the Respondent. Even if the statements are hypothetically attributed to the Respondent, they were made in good faith, without any intent to defame. The alleged content, whether verbatim or edited, relates to discussion of systemic aspects of public administration and is part of a broader effort to educate and generate informed debate. Mere reference to institutions or systems in academic critique does not attract criminality.

**SUBJECT MATTER CONTENT IS PROTECTED UNDER THE EXCEPTIONS TO DEFAMATION AS ENSHRINED UNDER SECTION 356 OF THE BHARTIYA NYAYA SANHITA, 2023**

It is submitted that no offence under Section 356(1) can be made against the Respondent since the subject matter content lies under the ambit of multiple exceptions to the offence of Defamation mentioned in the aforesaid provision.

Exception 2 to Section 356(1) provides as follows:

*It is not defamation to express in good faith any opinion whatever respecting the conduct of a public servant in the discharge of his public functions, or respecting his character, so far as his character appears in that conduct, and no further.*

Exception 3 to Section 356(1) provides as follows:

*It is not defamation to express in good faith any opinion whatever respecting the conduct of any person touching any public question, and respecting his character appears in that conduct, and no further.*

Exception 9 to Section 356(1) provides as follows:

*It is not defamation to make an imputation on the character of another provided that the imputation be made in good faith for the protection of the interests of the person making it, or of any person, or for the public good.*

Exception 10 to Section 356(1) provides as follows:

*It is not defamation to convey a caution, in good faith, to one person against another, provided that such caution be intended for the good of the person to whom it is conveyed, or of some person in whom that person in whom that person is interested, or for the public good.*

It is submitted that the subject matter content solely entails statements which are evidently expressed in good faith and also are personal opinions touching public questions, devoid of any imputation being made against specific individual/the Complainant herein or an identifiable class/group of individuals. Additionally, it is also evident that the Respondent, being a renowned educator made the aforesaid statements while discharging his duties as an educator, therefore, towards the public good i.e. his students, with the sole intent of contributing to their growth and education.

In furtherance of the submission made hereinabove, reliance is placed on 'Iveco Magirus Brandschutztechnik GMBH v. Nirmal Kishore Bhartiya & Anr.' reported as (2024) 2 SCC 86, wherein the Hon'ble Supreme Court held:

*60. What the law imposes on the Magistrate as a requirement is that he is bound to consider only such of the materials that are brought before him in terms of sections 200 and 202 as well as any applicable provision of a statute, and what is imposed as a restriction by law on him is that he is precluded from considering any material not brought on the record in a manner permitted by the legal process. As a logical corollary to the above proposition, what follows is that the Magistrate while deciding whether to issue process is entitled to form a view looking into the materials before him. If, however, such materials themselves disclose a complete defence under any of the Exceptions, nothing prevents the Magistrate upon application of judicial mind to accord the benefit of such Exception to prevent a frivolous complaint from triggering an unnecessary trial.*

It is evident that the excerpt made available in the subject matter video is a discourse between the Respondent and his students wherein he is making an effort to conduct an educational manner in a playful and positive manner. Therefore, it is respectfully submitted that the present Complaint is liable to dismissed at the outset on the ground that the alleged content and the views expressed therein clearly lie under the ambit of the exceptions to the offence of defamation as enshrined under Section 356(1).

**COMMENTARY ON PUBLIC ISSUES IS PROTECTED SPEECH**

The subject content reflects general commentary on matters of public administration and judicial appointments, which are issues of public interest and form part of constitutionally protected freedom of speech and expression. The views expressed therein were either personal observations or academic reflections, devoid of malice or defamatory intent.

No specific group or identifiable class has been targeted. Even institutions such as the Judiciary or Civil Services are not considered "communities" under the defamation framework of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023, as clarified by Explanation 4 to Section 356. It is further submitted that except the purported negative feelings that arose within the Complainant, the Complaint does not mention any other negative occurrences that arose as a direct consequence of the subject matter video.

In view of the above, it is submitted that the present complaint appears to be a calculated attempt to malign the Respondent for personal or political mileage and to seek publicity. The absence of harm or even identification of the Complainant in the content underscores the frivolous nature of the allegations.

Based on the aforesaid submissions, it is most humbly prayed that the present Complaint be dismissed at the threshold and all corresponding proceedings arising therefrom are dropped by this Hon'ble Court.

उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया,अभिलेख पर मौजूद सामग्री, संबंधित विधि का अवलोकन करते हुए प्रस्तुत न्यायदृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार रह हैं कि परिवादी श्री कमलेश मण्डोलिया की ओर से एक इस्तगासा न्यायालय के समक्ष आरोपी को नामजद करते हुए इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी एक जागरूक अधिवक्ता है तथा नियमित तौर पर जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर अजमेर में वकालत करता है जबकि अभियुक्त पूर्व सेवानिवृत आई.ए.एस. अधिकारी होकर वर्तमान मे दृष्टि आई.ए.एस. कोचिंग संस्थान का संस्थापक व प्रबधंक निर्देशक होकर आई.ए.एस. परिक्षा की छात्राओं को तैयारिया कराते हुए व्याख्यान देता है। प्रार्थी के द्वारा अपने मोबाईल के सोशल मीडिया प्लेटफार्म यू–ट्यूब/गूगल प्ले स्टोर पर एक कन्टेक्ट **"IAS V/s Judge** कौन ज्यादा ताकतवर है **best Guidance by Vikas Divyakirti sir Hindi Motivation"** जिसका मीडिया लिंक **https://youtu.beg10h5xk8J88? si= SF aHTX9isovlyX9** को देखा जिसमें एक पूर्व सेवानिवृत भारतीय प्रशासनिक सेवा के आईएएस अधिकारी, शिक्षक, लेखक और व्याख्याता है, जो कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा में भी पदस्थापित रह चुका है, जिसका नाम विकास दिव्यकीर्ति अभियुक्त है, जो कि वर्तमान में दृष्टि आई.ए.एस. कोचिंग संस्थान 641, फर्स्ट फ्लोर, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली का प्रधंधक होकर भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं अन्य प्रशासनिक सेवाओं के प्रतिभागियों को प्रतियोगी परीक्षा के लिए कोचिंग देता है। उक्त कोचिंग संस्थान में अभियुक्त द्वारा तैयारी कर रहे छात्रों को कोचिंग देते समय कानूनी पेशेवरों, जजों, जिला जजों, हाई कोर्ट न्यायाधीशों एवं सम्पूर्ण न्यायपालिका के विरूद्ध अभद्र, अपमानजनक और अमर्यादित एवं मजाकिये लहजे में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है जो इस प्रकार से है–

**"डिस्ट्रिक्ट जज बडा नही होता पर डिस्ट्रिक्ट जज ईज द अथॉरिटी ऑफ समनिंग देम/बट ही नंबर समंन्स देय/डांट सकता है, फिर अकेले में रख भी लेता होगा।**

(क्लीपिंग टाईम 4.33) **मैं तो ये कह रहा हूं डिस्ट्रिक्ट जज टेक्निकली मतलब पॉवर फुल तो है ही बट नॉट एस पॉवरफुल एस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और दे एसपी।**

(क्लीपिंग टाईम 4.41) ज्यूडिशरी की सारी ताकत इस भरोसे पे है कि एसपी मेरी बात मानेगा। जज बोलेगा अरेस्ट करो। मैं नही करता खुद ही कर लो। सारी ताकत खत्म। **सो जजेस नो दैट ऑल द पावर्स व्हिच लाई टू अस इज इफेक्टिवली लंग वि द पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टस।**

(क्लीपिंग टाईम 5.7) सिंपल सी बात है कि एसपी है उसने एक अपराधी को पकडा। क्रिमीनल को पकडा है। एंड दिस पर्सन विल बी गोइंग फॉर द बेल टुमारो ठीक ? बहुत तगडा वकील लेके आ गया है दिल्ली से, और एस.पी. को पता है कि इसको छोडना ठीक नही रहेगा। मैनें सुना है तो एसपी साहब रात को डीजे साहब को फोन कर देते है। **कौन डीजे, डीजे वाले बाबू नहीं डिस्ट्रिक्ट जज** बत्ताते है कि सर ऐसे में मामला है, बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है बि हेव ऑल द एविडेंसेस एंड आई रिक्वेस्ट यू प्लीज डान्ट गिव हिम बेल जनरली उसके बाद बेल नही मिलती है, अंडर स्टेडिंग होती है तीनों मिलके जिला चलाते है नो दे नो दे कंपल्शन ऑफ ईज अंडर एंड आलमोस्ट एव्रीमंथ एव्री वीक दे मीट ऑन द पार्टी इन इवनिंग वो मिलते ही रहते है। ठीक में एक आध बार कोई फंक्शन है। तीनों साथ बैठे ही हुए है, सो दे हैव अ वेरी गुड रेपो विद ईज अदर। सो इटस नॉट लाईक डीजी आया तो एस.पी खडा होगा कि नही होगा। ये सब कुछ नही होता है। दोनो हाथ मिलाते है। गप्पे मारते है, गोलगप्पे खाते है, साथ में मस्त रहते है। वो सब टेंशन किसी किसी पागल टाइप के आदमी को होती है। जो कहीं सेट नही हो सकता। वो यहा भी सेट नही हो पा रहा।

(क्लीपिंग टाईम 6.19) हाई कोर्ट जज बनने के लिए जुगाड किससे करना पडता है, सीएम को कहां कोई पूछता है_कॉलेजियम इन द सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम प्लस योर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस

एंड टू सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द हाई कोर्ट कंसर्न इन सब से जुगाड करना पडता है और उसकी कंडीशन है या तो डिस्ट्रिक्ट जज बने हुए आपको सात आठ साल कम से कम हो गए हो या आप कम से कम 10 साल से लीगल प्रेक्टिस कर रहे हो, गुड लीगल प्रैक्टिस दे एलिजिबिलिटी है, उसके बाद वो सब बाते होती है। इफ द कॉलेजियम पासस योर नेम एंड सेंडस टू द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट फाइडंस देट यू आर नॉट दिविंग पर्सन दे विल पुट ए रेड टेप ऑन द फाइल एंड द फाइल विल नॉट मूल फॉर सेवरल मंहस एंड इयर्स। इधर आप मिठाईयां बंटवा चुके है सबको। पर फाइल आगे बढ ही नहीं रही है और फिर क्या होता है, रिटायरमेंट से तीन दिन पहले जॉइनिंग होती है। सरकार को मजाक मत समझना"

इस प्रकार की भाषा ना केवल प्रशासनिक सेवा की गरिमा के विरूद्ध है बल्कि यह संविधान द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय सविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) का भी उल्लघंन है। अभियुक्त द्वारा सार्वजनिक पद पर रहते हुए अपने से अधीनस्थ आईएएस की तैयारी कर रहे कोचिंग के छात्रों को आर.जे.एस. एवं आर.जे.एच.एस. जैसी सम्मानीय व गरीमामय सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है. जबकि एक आई.ए.एस. अधिकारियों से यह अपेक्षित है कि वह अपनी भाषा और व्यवहार में संयम व मर्यादा बनाये रखें तथा किसी भी सेवा के विरूद्ध कोई किसी भी प्रकार की अमर्यादित भाषा प्रयोग में ना लें तथा उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास ना करें। अभियुक्त द्वारा उक्त अमर्यादित व अपमानजनक भाषा में सार्वजनिक तौर पर अपलोड किया गया सोशल मीडिया प्लेटफार्म यू-ट्यूब चैनल को प्रार्थी के द्वारा दिनांक 26.05.2025 को देखा जिस वीडियों को देखने के बाद प्रार्थी को काफी आत्मग्लानी व मानसिक हानि महसूस हुयी है एवं शर्मिंदगी महसूस हुई है कि अभियुक्त एक जिम्मेदार सेवानिवृत आई.ए.एस. अधिकारी होते हुए न्यायिक अधिकारियों एवं माननीय उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों व कानूनी पेशेवरों के विरूद्ध जिस प्रकार से भाषा का प्रयोग किया गया है उससे भी प्रार्थी अपने

आपको बहुत अपमानित महसूस कर रहा है जबकि न्यायिक सेवा एवं माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद एक गरिमामय एवं सम्मानीय पद है जिनके द्वारा न्याय पालिका में अच्छी भूमिका निभाई आती रही है। जिसके कारण ही आम जनता व नागरिकों, पीडितो व शोषितो में आज भी यह विश्वास एवं यकीन तथा उम्मीद कायम है कि उनके द्वारा न्यायालय की शरण लेने पर उनके साथ निश्चित तौर पर निष्पक्ष रूप से न्याय की प्राप्ति होगी। क्योंकि आज भी जब दो पक्षो के मध्य कोई विवाद होता है तो दोनों पक्ष न्याय एवं निर्णय के लिए न्यायालय का दरवाजा इस आशा एवं विश्वास के साथ खटखटाते है कि उनके साथ न्याय होगा इसलिए दोनों पक्ष न्यायालय द्वारा किये गये निर्णय का पूर्ण सम्मान करते है जिसके अनेक उदाहरण मौजूद है, क्योंकि न्यायालय एवं न्यायाधीश एवं न्यायिक पेशेवर दोनों पक्षों को सुने जाने के बाद ही किसी निर्णय पर अपनी भूमिका निभाते है। भारतीय संविधान में भी न्यायिक सेवा एवं हाई कोर्ट जज एक गरिमामय एवं प्रतिष्ठित पद है तथा किसी भी व्यक्ति या अधिकारी को न्यायिक सेवा के अधिकारियों एवं हाई कोर्ट जजों के विरूद्ध किसी भी प्रकार की कोई भी टिका टिप्पणी का अधिकार भारतीय संविधान नही देता है व ऐसे व्यक्ति पर न्यायलय अवमाननाय अधिनियम की धारा 15 (2) के तहत कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। यद्यपि भारत मे न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को अपने–अपने क्षेत्र में कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता एवं अधिकार प्राप्त है लेकिन एक दूसरे के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अनर्गल टिका टिप्पणी करने का अधिकार भारत का सवंधिन व कानून एक दूसरे को नही देता है। अभियुक्त ने ना केवल न्यायिक व्यवस्था के विरूद्ध सार्वजनिक रूप से टिका टिप्पणी की है बल्कि उसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अपलोड कर न्यायपालिका की छवि को धूमिल किया है, जिससे प्रार्थी व कानून एवं न्यायपालिका में "विश्वास करने वाले आमजन पीडितों एवं शोषितों की भावनाएं काफी आहत हुयी है तथा उक्त अभियुक्त का कृत्य क्षमा योग्य कतापि नही है इसलिए उक्त आरोपी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है जिससे कि भविष्य मे किसी भी व्यक्ति को न्यायिक व्यवस्था एवं न्यायिपालिका के

विरूद्ध सार्वजनिक रूप से अनर्गल टिका टिप्पणी करने की हिम्मत ना हो तथा जनमानस में कानून व न्यायपालिका के प्रति सम्मान व विश्वास सदैव बना रहे। प्रार्थी के उक्त कृत्य की शिकायत दिनांक 27/05/2025 को लिखित तौर पर पुलिस थाना गेगल मे उपस्थित होकर दी गई लेकिन एक भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी अभियुक्त के होने से प्राथी की शिकायत को दर्ज करने से इंकार कर दिया जिस पर प्रार्थी के द्वारा दिनांक 28/05/2025 को जरिये रजि० डाक से पुलिस थाना गेगल व श्रीमान पुलिस अधिक्षक महोदय अजमेर को तहरीर दी गई लेकिन उक्त तहरीर पर आज तीन दिन से ज्यादा का समय व्यथित हो जाने के बाद भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नही की गई है ना ही प्रार्थी को थाने पर ही वापस बुलाया गया है जिस कारण से प्राथी को श्रीमान के समक्ष उक्त परिवाद प्रस्तुत करना पड रहा है। प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र उचित न्यायशुल्क अदा कर अंदर मियाद प्रस्तुत किया गया है। अतः अभियुक्त के द्वारा न्यायपालिका के विरूध जानबूझकर सोशल मीडिया पर भ्रामक, अपमानजनक एवं असत्य जानकारी प्रसारित की गई है जिससे ना केवल न्यायिक प्रकिया की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है बल्कि प्रार्थी के साथ ही आम जनता को भ्रम एवं शांति भंग की स्थित उत्पन्न की है जिसके लिए प्रार्थी के परिवाद को स्वीकार कर अभियुक्त के विरूध अपराध अन्तर्गत धारा–353(2), 356(2), (3) भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं धारा–66ए (बी) सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत कार्यवाही की जाकर संबधित पुलिस थाना गेगल अजमेर को या **अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लेकर तलब करने के आदेश प्रदान किए जाने का निवेदन किया।**

परिवाद पत्र प्रस्तुति उपरांत न्यायालय द्वारा इसे थाना स्तर पर अन्वेषण हेतु प्रेषित कर अपने स्तर पर ही जाँच किया जाना मुनासिब़ पाया, जिसके अनुक्रम में परिवादी ने अपने इस्तगासा के समर्थन में सरसरी सबूत के तौर पर स्वयं को दफा 223 बीएनएसएस में तथा

अपने साक्षियों यथा धर्मेंद्र सिंह रावत, खियासिंह रावत व सुधांशु टांक को दफा 225 बीएनएसएस में परीक्षित करवाया है।

यदि हम परिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य पर गौर करें तो प्रकट होता हैं कि **परिवादी कमलेश मंडोलिया ने अपने बयानों में कथन किया है कि** यह सेशन कोर्ट अजमेर में रजिस्टर्ड अधिवक्ता हैं। इनका नामांकन रजिस्टर्ड नंबर आर/2630/2014 बार काउंसिल राजस्थान से हो रखा है। यह वर्ष 2014 से लगातार वकालत का कार्य कर रहे है। यह उपरोक्त पते पर स्थाई रूप से निवासरत हैं। विकास दिव्यकीर्ति जो कि दृष्टि आईएएस संस्थान के प्रबंधक एवं निर्देशक है, का दिनांक 26.05.2025 को यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक कंटेंट देखा जिसका टाईटल आईएएस बनाम जज, कौन ज्यादा ताकतवर है, बेस्ट गाईडलाईन्स बाय सर विकास दिव्यकीर्ति सर इन दी मोटिवेशन था, इसके द्वारा वीडियो में देखा गया कि विकास दिव्यकीर्ति द्वारा अपने कोचिंग संस्थान में आईएएस की कोचिंग प्राप्त कर रहे छात्र–छात्राओं को कानूनी पेशे पर, वकीलो, जजों, न्यायाधीशों, सुप्रीम कोर्ट एवं सम्पूर्ण न्यायपालिका के विरूद्ध अभद्र, अपमानजनक, अमर्यादित और मजाकिया लहजे में बोला गया है। जिसमें पीछे से छात्र–छात्राओं की हंसी की आवाजें आ रही है। जानबूझकर छात्र–छात्राओं के साथ मिलकर व्यंग्यात्मक रूप से उपहास देखते हुए एवं उडाते हुए सुना। वीडियो में कुछ शब्द अमर्यादित थे जो इस प्रकार है– डिस्ट्रीक्ट जज बडा नहीं होता है, वह अकेले में खा भी लेता होगा। आगे यह भी बोला गया है कि डिस्ट्रीक्ट जज पावरफुल तो है, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट एवं एसपी से ज्यादा नहीं। ज्यूडिशर की सारी ताकत इस भरोसे है कि एसपी मेरी बात मानेगा, जज बोलेगा अरेस्ट करो, मैं नहीं करता खुद ही कर लो, तो सारी ताकत खत्म। जज की सारी पॉवर धरी की धरी रह जायेगी। इसके अलावा भी माननीय जिला न्यायाधीश के लिए कहा गया है कि कौन डीजे, डीजे वाले बाबु यानी डिस्ट्रीक्ट जज। इस प्रकार से जिला न्यायाधीश को भी डीजे वाले बाबु के तौर पर हंसी–मजाक वाले लहजे में बोला गया है। आगे यह भी बोला गया है कि तीनो में

अंडरस्टेण्डिंग होती है, तीनो ही जिला चलाते है। आपस में मिलकर पार्टी करते है और मिलते रहते है। डिस्ट्रीक्ट जज बैठा है, और एसपी साहब आये तो डिस्ट्रीक्ट जज के सामने एसपी खडा होगा या नहीं, दोनो हाथ मिलाते है और साथ में दोनो गप्पे मारते है, गोल गप्पे खाते है, साथ में मस्त रहते है। वो सब टेंशन किसी–किसी पागल टाईप के आदमी को होती है, जो कहीं सेट नहीं हो सकता और वह यहां भी सेट नहीं होगा। इसके अलावा यहां तक आरोप लगाये गये कि हाईकोर्ट जज बनने के लिए जुगाड किस–किस से करना पडता है। कॉलेजियम इन द सुप्रीमकोर्ट, सुप्रीमकोर्ट कॉलेजियम प्लस योर हाईकोर्ट चीफ जस्टिस एंड टू सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द हाईकोर्ट कंसर्न इन सब से जुगाड करना पडता है। इनके अलावा भी काफी न्यायपालिका के विरूद्ध अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया, जिनका वर्णन मेरे द्वारा परिवाद के साथ पेश पेन–डाईव, वीडियो सीडी, कंटेंट शब्द से शब्द पेश किया गया है। विकास दिव्यकीर्ति के साथ जिस अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है, वह ना केवल प्रशासनिक सेवा की गरिमा के खिलाफ है, अपितु भारतीय संविधान में बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ भी है। न्यायपालिका में आरजेएस एवं आरएचजेएस जैसी प्रतिष्ठित सेवाएं जिसमें एक वकील समुदाय भाग लेता है। उक्त सेवा के विरूद्ध भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया और इसे नीचा दिखाने का प्रयास किया गया, जिससे इनकी मानसिक भावना को ठेस पहुंची है। विकास दिव्यकीर्ति के द्वारा सोशल मीडिया पर अपनी टीआरपी बढाने के लिए वीडियो में जो अमर्यादित एवं अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया, वीडियो को अपलोड किया गया, जिसमें न्यायालयों, कानूनी पेशेवरों, सम्मानित न्यायाधीशों के विरूद्ध जिस भाषा का प्रयोग किया गया, उससे यह काफी हद तक अपमानित महसूस कर रहे हैं। विकास दिव्यकीर्ति द्वारा अपलोड की गई वीडियो को काफी लोगो द्वारा देखा गया है, जिसमें कानूनी पेशेवरों की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है और इसे भी काफी अपमानित महसूस होना पडा। इसे इनके मित्रों ने व्यक्तिगत रूप से एवं फोन पर इस बाबत बताया जिससे इसे ठेस पहुंची। इसके द्वारा न्यायालय के समक्ष परिवाद पेश किया गया, जो मार्क 01 है, जिसके

प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी इसके हस्ताक्षर है। इसका बार काउंसिल ऑफ राजस्थान से जारी अधिवक्ता पहचान पत्र मार्क 02ए है। इसके द्वारा आरोपी के विरूद्व पुलिस थाना गेगल एवं पुलिस अधीक्षक, अजमेर के समक्ष शिकायत पेश की गई, जो मार्क 03 है, जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी इसके हस्ताक्षर है। रजिस्टर्ड एडी मार्क 04 व 05 है। आरोपी द्वारा सोशल मीडिया पर जो वीडियो अपलोड किया गया उसका लिंक व स्क्रीनशॉट प्रति मार्क 06 है। वीडियो सीडी मार्क 07 है, जिसकी मूल पेन ड्राईव मार्क 08 है। इसके द्वारा धारा 63 (4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र पेश किया गया, जो मार्क 09 है, जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी इसके हस्ताक्षर है। आरोपी द्वारा जो वीडियो में अपलोड किया गया, उसकी वीडियो सीडी और पेन ड्राईव पेश है, उसमें बोले गये शब्द से शब्द का कम्प्यूटर से टंकन किया गया जो, मार्क 10 है। अपने मोबाईल से जो इसने उक्त वीडियो देखा उसका स्क्रीनशॉट खींचा, वह मार्क 11 है, जिसमें आरोपी विकास दिव्यकीर्ति एक्स स्थान पर दिखाई दे रहा है। यह आरोपी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही चाहता है।

इसी प्रकार **धर्मेंद्र सिंह रावत ने भी अपनी साक्ष्य में प्रकट किया किया है कि** इसने सन् 2024 में एलएलबी पास की। जिसके पश्चात यह जिला एवं सेशन न्यायालय अजमेर में प्रेक्टिस कर रहा है। कमलेश मण्डोलिया इसके सीनियर अधिवक्ता है जिससे यह उनको जानता है। अभी 10–15 दिन पहले इसके मित्र कमलेश मण्डोलिया जो इसकी ही तरह वकालत का कार्य करते है ने इसे विकास दिव्यकीर्ति के इस्टाग्राम व फेसबुक पर अपलोडेड विडीयो के बारें में बताया जो कि आई.ए.एस बनाम जज कौन ज्यादा ताकतवर के नाम से यूट्यूब पर अपलोड किया है जिसमें वकीलों और जजों के लिए अपमानजनक भाषा उपयोग में ली है और लाखों की संख्या में इस वीडियों को आम पब्लिक ने देखा है। विकास दिव्यकीर्ति जो आईएएस की कोचिंग चलाते है उनको कानून की सारी समझ है। वह खुद रिटायर्ड अधिकारी है जिनको सब पता है कि मानहानि क्या होती है और क्या नही फिर भी उन्होने ने जानबूझकर ऐसा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर फैलाया है जिसमें देखा जा

सकता है जिसमें वकीलो को गिद्ध बोला है जजों के लिए कहा है कि जुगाड़ से हाईकोर्ट जज बनते है और एडीजे बनते है। एक जगह तो उन्होने डीजे साहब को जो हमारे लिए डिस्ट्रीक जज साहब ईश्वर समान होते है को डीजे वाले बाबू सम्बोधित कर उपहास उडाया है। बोल रहे है कि एसपी साहब तय करते है कि कौन से अपराधी की जमानत डीजे साहब को लेनी है और कौनसे की नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद इसे और इसके साथी जूनियरों को बहुत ग्लानि हो रही है कि समाज में ऐसे वीडियो के कारण इन्हें हेय की दृष्टि से देखा जा रहा है कई तो क्लाईट ही जो आयें है उन्होने ने भी इनकी हंसी उडाई है कि कोई तो बात होगी तभी तो यह वीडियो बनाया है। इस प्रकार विकास दिव्यकीर्ति जी ने सारे वकील समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और अनर्गल टीका–टिप्पणी वकीलो और जजो पर करके उनका मजाक बनाया है ऐसे लोगो पर कार्यवाही होनी चाहिए क्योंकि केवल पोपुलर होने के लिए उन्होंने न्यायपालिका का अपमान किया है ।

इसी प्रकार परिवादी साक्षी **खियां सिंह रावत ने भी सशपथ कथन किया है कि यह** वर्ष 2003 से नियमित रूप से जिला एवं सेशन न्यायालय, अजमेर में वकालत का कार्य कर रहा है। यह दिनांक 26.05.2025 को सेशन कोर्ट, अजमेर में साथी अधिवक्ता कमलेश मण्डोलिया के मोबाईल पर एक वीडियो कंटेंट जो कि यूट्यूब चैनल पर आईएएस बनाम जज, कौन ज्यादा ताकतवर है, को देखा था। उस समय इसके साथ इसके साथी अधिवक्तागण राजेश भाटी, सुधांशु टांक व अन्य 02–03 अधिवक्ता मौजूद थे। इसके द्वारा सार्वजनिक तौर पर अपलोड की गई वीडियो को देखा गया। उसमें विकास दिव्यकीर्ति द्वारा न्यायपालिका एवं कानूनी पेशेवरो को नीचा दिखाने के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया। उनके द्वारा आईएएस जो की व्यवस्थापिका एवं प्रशासनिक सेवा में आते है, को न्यायपालिका से सर्वोच्च बताने का प्रयास किया गया है। उसमें बताया गया है कि 02–03 साल में वैकेंसी आती है एक, गिद्ध है 500। वीडियो में इसने देखा कि विकास दिव्यकीर्ति ने वीडियो में कहा कि डिस्ट्रीक्ट जज कोई बडा नहीं होता,

हैज द अथॉरिटी ऑफ समनिंग देम। बट ही नेवर समंस देम। वीडियो में विकास दिव्यकीर्ति ने कहा कि न्यायपालिका की सारी ताकत प्रशासनिक अधिकारियों के भरोसे है। अगर डिस्ट्रीक्ट जज एसपी को बोलता है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करो, एसपी मना कर देता है, तो डिस्ट्रीक्ट जज की सारी ताकत खत्म। इस तरह विकास दिव्यकीर्ति ने वीडियो में कई जगह न्यायपालिका के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर न्यायपालिका जैसे गरिमामय सेवा के विरूद्व एवं कानूनी पेशेवरों के विरूद्व भी अपमानजनक टीका–टिप्पणीयां की है। विकास दिव्यकीर्ति ने अपने वीडियो में जिला जज को एसपी से छोटा मानकर डीजे वाले बाबू जैसे व्यंग्यात्मक शब्दों को प्रयोग कर न्यायपालिका व कानूनी पेशेवरों की छवी धूमिल की है। जज कैसे बनते है, उस पर भी व्यंग्यात्मक टीका–टिप्पणी कर यह बताया है कि जुगाड कर हाईकोर्ट में जज बनते है। इस प्रकार उसने कई जगह अनर्गल टीका–टिप्पणी कर न्यायपालिका एवं कानूनी पेशेवरों के विरूद्ध अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है। इसके द्वारा वीडियो देखने पर इसे भी अपमानित होना पडा, इसके कई मित्रों एवं परिचितो ने भी फोन कर इसे इस वीडियो के बारे में बताया जिससे भी इसे आत्मग्लानी महसूस हुई। विकास दिव्यकीर्ति ने कोचिंग देने के बहाने छात्र–छात्राओं के सामने व्यंग्यात्मक टीका–टिप्पणी कर न्यायपालिका के विरूद्ध अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया तथा उसका सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर न्यायपालिका की छवि को धूमिल किया है। यह विकास दिव्यकीर्ति के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही चाहता है।

इसी प्रकार **परिवादी साक्षी सुधांशु टांक ने भी सशपथ कथन** किया है कि यह सेशन कोर्ट, अजमेर में वर्ष 2013 से वकालत का कार्य कर रहा है। कमलेश मण्डोलिया इसके गांव का रहने वाला है, जो भी पेशे से एडवोकेट है। दिनांक 26.05.2025 को इसके मित्र वकील कमलेश मण्डोलिया के साथ यह और 05–07 अधिवक्ता और बैठे थे, कमलेश मण्डोलिया ने इसे बताया कि न्यायपालिका को बदानाम करने के लिए एक संस्थान दृष्टि आईएएस के प्रबंधक ने वीडियो अपलोड

किया है। जब इसने उनसे पूछा तो उन्होने इसे बोला कि वीडियो सार्वजनिक है, उसके बाद हमने मोबाईल में उस वीडियो को देखा जिसमें दृष्टि कोचिंग संस्थान के श्री विकास दिव्यकीर्ति वकीलो और जजो की खिल्लियां उडा रहे थे। वहां पर बैठे छात्र–छात्राएं भी अपमानजनक व्यंग्यों पर दांत निकालते हुए सुनाई दे रहे है। उन्होने वीडियो में बोला है कि वकील तो गिद्ध होते है, जो जुगाड से हाईकोर्ट जज बनते है, ज्यूडिशरी में भाई–भतीजावाद होना बताया। उसमें साफ देखा और सुना जा सकता है कि विकास दिव्यकीर्ति की भाव–भंगिमा भी न्यायपालिका को बदत्तर और नीचा दिखाने वाली थी। हम सब वकील न्यायपालिका का सम्मान करते है। जजेज का आदर करते है और हमारे पास आने वाले पक्षकारों को भी यही सिखाते है कि कोर्ट में जाओ तब मोबाईल फोन बंद रखो, शर्ट के बटन लगाकर जाओ, लेकिन इस वीडियो से लगता है कि न्यायपालिका का समाज में कोई वजूद ही नहीं है। इन साहब के मुताबिक तो एसपी साहब डिस्ट्रीक्ट जज साहब को अकेले में डांटते भी है, उनके साथ गोल गप्पे भी खाते है, एसपी साहब, कलक्टर साहब और डीजे साहब तीने मिलकर कोर्ट चलाते है, जो कि सरासर बेईमानी बात है। हमारी न्यायपालिका को संविधान ने स्वतंत्र किया हुआ है। यहां तक की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियां भी है। ऐसे में यह तो मान सकते है कि तीनों सामंजस्य से जिले को चलाते है, लेकिन एसपी साहब डिस्ट्रीक्ट जज साहब को फोन करके किसी की जमानत लेनी है या नहीं लेनी है, ऐसी राय या निर्देश देते हो हमने आज तक ना तो सुना है, ना ही देखा है, लेकिन इन महोदय आम जनता को ऐसा ही बताया है कि एसपी साहब के कहे अनुसार जमानतें न्यायाधीश महोदय द्वारा तय की जाती है। इस वीडियो को देखने के बाद यह अपने आप को लज्जित महसूस कर रहा है। घर परिवार वाले भी व्यंग्यात्मक रूप से हमारे पेशे को देखने लगे है। जब इसे पता चला कि कमलेश जी ने परिवाद पेश किया है, तो इसने भी अपने पेशे के धर्म को निभाने के लिए शहादत देने की ठानी है, क्योंकि इस वीडियो से ना केवल जजों अपितु सम्पूर्ण अधिवक्ता समुदाय को अपमानित होना पडा है। यह विकास दिव्यकीर्ति के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही चाहता है।

सर्वप्रथम यदि हम संबंधित विधि का अवलोकन करें तो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 356 अतिमहत्वपूर्ण हो जाती है। सुविधा की दृष्टि से जिसका ज्यों का त्यों उद्धहरण यहां किया जा रहा हैः–

**356. मानहानि –** (1) जो कोई, बोले गए या पढ़े जाने के लिए आशयित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा, या दृश्यरूपणों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से लगाता है या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि की जाए या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए लगाता है या प्रकाशित करता है, ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि होगी, इसमें इसके पश्चात् अपवादित दशाओं के सिवाय उसके बारे में कहा जाता है कि वह उस व्यक्ति की मानहानि करता है।

**स्पष्टीकरण 1.**– किसी मृत व्यक्ति को कोई लांछन लगाना मानहानि की कोटि में आ सकेगा यदि वह लांछन उस व्यक्ति की ख्याति की, यदि वह जीवित होता, अपहानि करता, और उसके परिवार या अन्य निकट सम्बन्धियों की भावनाओं को उपहत करने के लिए आशयित हो ।

**स्पष्टीकरण 2.–** किसी कम्पनी या संगम या व्यक्तियों के समूह के सम्बन्ध में उसकी वैसी हैसियत में कोई लांछन लगाना मानहानि की कोटि में आ सकेगा ।

**स्पष्टीकरण 3.–** अनुकल्प के रूप में, या व्यंगोक्ति के रूप में अभिव्यक्त लांछन मानहानि की कोटि में आ सकेगा ।

**स्पष्टीकरण 4.–** कोई लांछन किसी व्यक्ति की ख्याति की अपहानि करने वाला नहीं कहा जाता जब तक कि वह लांछन दूसरों की दृष्टि में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उस व्यक्ति के सदाचारिक या बौद्धिक स्वरूप को कम न करे या उस व्यक्ति की जाति के या उसकी आजीविका के

सम्बन्ध में उसके शील को कम न करे या उस व्यक्ति की साख को कम न करे या यह विश्वास न कराए कि उस व्यक्ति का शरीर घृणोत्पादक दशा में है या ऐसी दशा में है जो साधारण रूप से निकृष्ट समझी जाती है ।

## दृष्टांत

(क) **क** यह विश्वास कराने के आशय से कि **य** ने **ख** की घड़ी अवश्य चुराई है, कहता है, **"य** एक ईमानदार व्यक्ति है, उसने **ख** की घड़ी कभी नहीं चुराई है"। जब तक कि यह अपवादों में से किसी के अन्तर्गत न आता हो, यह मानहानि है ।

(ख) **क** से पूछा जाता है कि **ख** की घड़ी किसने चुराई है। **क** यह विश्वास कराने के आशय से कि **य** ने **ख** की घड़ी चुराई है, **य** की ओर संकेत करता है जब तक कि यह अपवादों में से किसी के अन्तर्गत न आता हो, यह मानहानि है ।

(ग) **क** यह विश्वास कराने के आशय से कि **य** ने **ख** की घड़ी चुराई है, **य** का एक चित्र खींचता है जिसमें वह **ख** की घड़ी लेकर भाग रहा है । जब तक कि यह अपवादों में से किसी के अन्तर्गत न आता हो, यह मानहानि है ।

**अपवाद 1.–** किसी ऐसी बात का लांछन लगाना, जो किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में सत्य हो, मानहानि नहीं है, यदि यह लोक कल्याण के लिए हो कि वह लांछन लगाया जाए या प्रकाशित किया जाए । वह लोक कल्याण के लिए है या नहीं, यह तथ्य का प्रश्न है ।

**अपवाद 2.–** उसके लोक कृत्यों के निर्वहन में लोक सेवक के आचरण के विषय में या उसके शील के विषय में, जहां तक उसका शील उस आचरण से प्रकट होता हो, न कि उससे आगे, कोई राय, चाहे वह कुछ भी हो, सद्भावपूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है ।

**अपवाद 3. –** किसी लोक प्रश्न के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति के आचरण के विषय में, और उसके शील के विषय में, जहां तक कि उसका शील

उस आचरण से प्रकट होता हो, न कि उससे आगे, कोई राय, चाहे वह कुछ भी हो, सद्भावपूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है ।

**दृष्टांत**

किसी लोक प्रश्न पर सरकार को अर्जी देने में, किसी लोक प्रश्न के लिए सभा बुलाने के अपेक्षण पर हस्ताक्षर करने में, ऐसी सभा का सभापतित्व करने में या उसमें उपस्थित होने में, किसी ऐसी समिति का गठन करने में या उसमें सम्मिलित होने में, जो लोक समर्थन आमंत्रित करती है, किसी ऐसे पद के किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मत देने में या उसके पक्ष में प्रचार करने में, जिसके कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन से लोक हितबद्ध है, **य** के आचरण के विषय में **क** द्वारा कोई राय, चाहे वह कुछ भी हो, सद्भावपूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है ।

**अपवाद 4.–** किसी न्यायालय की कार्यवाहियों की या किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों के परिणाम की सारतः सही रिपोर्ट को प्रकाशित करना मानहानि नहीं है ।

**स्पष्टीकरण. –** कोई मजिस्ट्रेट या अन्य अधिकारी, जो किसी न्यायालय में विचारण से पूर्व की प्रारम्भिक जांच खुले न्यायालय में कर रहा हो, उपरोक्त धारा के अर्थ के अन्तर्गत न्यायालय है ।

**अपवाद 5.–** किसी ऐसे मामले के गुणागुण के विषय में चाहे वह सिविल हो या दाण्डिक, जो किसी न्यायालय द्वारा विनिश्चित हो चुका हो या किसी ऐसे मामले के पक्षकार, साक्षी या अभिकर्ता के रूप में किसी व्यक्ति के आचरण के विषय में या ऐसे व्यक्ति के शील के विषय में, जहां तक कि उसका शील उस आचरण से प्रकट होता हो, न कि उसके आगे, कोई राय, चाहे वह कुछ भी हो, सद्भावपूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है ।

**दृष्टांत**

(क) क कहता है “मैं समझता हूं कि उस विचारण में य का साक्ष्य ऐसा परस्पर विरोधी है कि वह अवश्य ही मूर्ख या बेईमान होना चाहिए" । यदि क ऐसा सद्भावपूर्वक कहता है तो वह इस अपवाद के अन्तर्गत आ जाता है, क्योंकि जो राय वह य के शील के सम्बन्ध में अभिव्यक्त करता है, वह ऐसी है जैसी कि साक्षी के रूप में य के आचरण से, न कि उसके आगे, प्रकट होती है ।

(ख) किन्तु यदि क कहता है "जो कुछ ये ने उस विचारण में दृढ़तापूर्वक कहा है, मैं उस पर विश्वास नहीं करता क्योंकि मैं जानता हूं कि वह सत्यवादिता से रहित व्यक्ति है," तो क इस अपवाद के अन्तर्गत नहीं आता है, क्योंकि वह राय जो वह य के शील के सम्बन्ध में अभिव्यक्त करता है, ऐसी राय है, जो साक्षी के रूप में य के आचरण पर आधारित नहीं है ।

**अपवाद 6.–** किसी ऐसी कृति के गुणागुण के विषय में, जिसको उसके कर्ता ने लोक के निर्णय के लिए रखा हो, या उसके कर्ता के शील के विषय में, जहां तक कि उसका शील ऐसी कृति में प्रकट होता हो, न कि उसके आगे, कोई राय सद्भावपूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है ।

स्पष्टीकरण. – कोई कृति लोक के निर्णय के लिए अभिव्यक्त रूप से या कर्ता की ओर से किए गए ऐसे कार्यों द्वारा, जिनसे लोक के निर्णय के लिए ऐसा रखा जाना विवक्षित हो, रखी जा सकती है ।

**दृष्टांत**

(क) जो व्यक्ति पुस्तक प्रकाशित करता है वह उस पुस्तक को लोक के निर्णय के लिए रखता है।

(ख) वह व्यक्ति, जो लोक के समक्ष भाषण देता है, उस भाषण को लोक के निर्णय के लिए रखता है ।

(ग) वह अभिनेता या गायक, जो किसी लोक रंगमंच पर आता है, अपने अभिनय या गायन को लोक के निर्णय के लिए रखता है ।

(घ) क, य द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक के संबंध में कहता है "य की पुस्तक मूर्खतापूर्ण है, य अवश्य कोई दुर्बल पुरुष होना चाहिए। य की पुस्तक अशिष्टतापूर्ण है, य अवश्य ही अपवित्र विचारों का व्यक्ति होना चाहिए"। यदि क ऐसा सद्भावपूर्वक कहता है, तो वह इस अपवाद के अन्तर्गत आता है, क्योंकि वह राय जो वह, य के विषय में अभिव्यक्त करता है, य के शील से वहीं तक, न कि उससे आगे सम्बन्ध रखती है जहां तक कि य का शील उसकी पुस्तक से प्रकट होता है ।

(ङ) किन्तु यदि क कहता है "मुझे इस बात का आश्चर्य नहीं है कि य की पुस्तक मूर्खतापूर्ण तथा अशिष्टतापूर्ण है क्योंकि वह एक दुर्बल और लम्पट व्यक्ति है"। क इस अपवाद के अन्तर्गत नहीं आता क्योंकि वह राय, जो कि वह य के शील के विषय में अभिव्यक्त करता है, ऐसी राय है जो य की पुस्तक पर आधारित नहीं है ।

**अपवाद 7.–** किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसा प्राधिकार रखता हो, जो या तो विधि द्वारा प्रदत्त हो या उस अन्य व्यक्ति के साथ की गई किसी विधिपूर्ण संविदा से उद्भूत हो, ऐसे विषयों में, जिनसे कि ऐसा विधिपूर्ण प्राधिकार सम्बन्धित हो, उस अन्य व्यक्ति के आचरण की सद्भावपूर्वक की गई कोई परिनिन्दा मानहानि नहीं है ।

**दृष्टांत**

किसी साक्षी के आचरण की या न्यायालय के किसी अधिकारी के आचरण की सद्भावपूर्वक परिनिन्दा करने वाला कोई न्यायाधीश, उन व्यक्तियों की, जो उसके आदेशों के अधीन है, सद्भावपूर्वक परिनिन्दा करने वाला कोई विभागाध्यक्ष, अन्य शिशुओं की उपस्थिति में किसी शिशु की सद्भावपूर्वक परिनिन्दा करने वाला पिता या माता, अन्य विद्यार्थियों की उपस्थिति में किसी विद्यार्थी की सद्भावपूर्वक परिनिन्दा करने वाला शिक्षक, जिसे विद्यार्थी के माता–पिता के प्राधिकार प्राप्त हैं, सेवा में शिथिलता के लिए सेवक की सद्भावपूर्वक परिनिन्दा करने वाला

स्वामी, अपने बैंक के रोकड़िए की, ऐसे रोकड़िए के रूप में, ऐसे रोकड़िए के आचरण के लिए, सद्भावपूर्वक परिनिन्दा करने वाला कोई बैंककार इस अपवाद के अन्तर्गत आते हैं ।

**अपवाद 8.–** किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोग ऐसे व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के समक्ष सद्भावपूर्वक लगाना, जो उस व्यक्ति के ऊपर अभियोग की विषय–वस्तु के सम्बन्ध में विधिपूर्ण प्राधिकार रखते हों, मानहानि नहीं है।

**दृष्टांत**

यदि **क** एक मजिस्ट्रेट के समक्ष **य** पर सद्भावपूर्वक अभियोग लगाता है, यदि **क** एक सेवक **य** के आचरण के सम्बन्ध में **य** के मालिक से सद्भावपूर्वक शिकायत करता है; यदि **क** एक शिशु **य** के सम्बन्ध में **य** के पिता से सद्भावपूर्वक शिकायत करता है; तो **क** इस अपवाद के अन्तर्गत आता है ।

**अपवाद 9.–** किसी अन्य के शील पर लांछन लगाना मानहानि नहीं है, परन्तु यह तब जबकि उसे लगाने वाले व्यक्ति के या किसी अन्य व्यक्ति के हित की संरक्षा के लिए, या लोक कल्याण के लिए, वह लांछन सद्भावपूर्वक लगाया गया हो ।

**दृष्टांत**

(क) क एक दुकानदार है। वह ख से, जो उसके कारबार का प्रबन्ध करता है, कहता है, "य को कुछ मत बेचना जब तक कि वह तुम्हें नकद धन न दे दे, क्योंकि उसकी ईमानदारी के बारे में मेरी राय अच्छी नहीं है"। यदि उसने य पर यह लांछन अपने हितों की संरक्षा के लिए सद्भावपूर्वक लगाया है, तो क इस अपवाद के अन्तर्गत आता है ।

ख) क, एक मजिस्ट्रेट अपने वरिष्ठ अधिकारी को रिपोर्ट देते हुए, य के शील पर लांछन लगाता है । यहां, यदि वह लांछन सद्भावपूर्वक और लोक कल्याण के लिए लगाया गया है, तो क इस अपवाद के अन्तर्गत आता है ।

**अपवाद 10.–** एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध सद्भावपूर्वक सावधान करना मानहानि नहीं है, परन्तु यह तब जब कि ऐसी सावधानी उस व्यक्ति की भलाई के लिए, जिसे वह दी गई हो, या किसी ऐसे व्यक्ति की भलाई के लिए, जिससे वह व्यक्ति हितबद्ध हो, या लोक कल्याण के लिए आशयित हो ।

(2) जो कोई, किसी अन्य व्यक्ति की मानहानि करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, या सामुदायिक सेवा से दण्डित किया जाएगा ।

(3) जो कोई, किसी बात को यह जानते हुए या विश्वास करने का अच्छा कारण रखते हुए कि ऐसी बात किसी व्यक्ति के लिए मानहानिकारक है, मुद्रित करेगा, या उत्कीर्ण करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

(4) जो कोई, किसी मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ को, जिसमें मानहानिकारक विषय अन्तर्विष्ट है, यह जानते हुए कि उसमें ऐसा विषय अन्तर्विष्ट है, बेचता है या बेचने की प्रस्थापना करता है, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

सर्वप्रथम हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि हस्तगत प्रकरण में न्यायालय द्वारा आरोपी पक्ष को भी उसका पक्ष रखने का अवसर दिया गया है जिसके अनुक्रम में उसके द्वारा लिखित जवाब शपथ पत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है और इस जवाब के माध्यम से मुख्य रूप से जो आपत्तियां प्रस्तुत की है उनमें **प्रथम आपत्ति** इस संदर्भ की रही है कि हस्तगत प्रकरण के फरियादी कमलेश मण्डोलिया को व्यथित पक्षकार नहीं माना जा सकता है तो इस संदर्भ में हमारा विनम्र मत इस प्रकार है कि हस्तगत परिवाद को दर्ज किए जाने की दिनांक 03.06.2025 को

ही न्यायालय द्वारा उक्त के संदर्भ में विस्तृत रूप से विवेचना करते हुए परिवादी को बतौर पीड़ित, परिवाद प्रस्तुत किए जाने का अधिकारी माना है। अतः तथ्यों के दोहराव और पुनरावृति को हम न्यायोचित नहीं समझते हैं। फलतः आरोपी पक्ष की उक्त दलील अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

आरोपी पक्ष की ओर से एक दलील इस आशय की भी रखी गई है कि विवादित वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, वह आरोपी स्वयं द्वारा अपलोड नहीं किया गया है अपितु किसी अन्य द्वारा अपलोड किया गया है। इसलिए आरोपी का तथाकथित वीडियो वायरल होने के संबंध में कोई दायित्व नहीं बनता है तो इस संबंध में न्यायालय के विनम्र मत मुताबिक विशिष्ट रूप से रेखांकित कर यह तथ्य रिकॉर्ड पर रखे जाने योग्य है कि तथाकथित वीडियो जिसके संबंध में हस्तगत याचिका दायर की गई है जो कि आरोपी पक्ष से भी स्वीकृत रूप से सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, उसकी अंतर्वस्तु/तत्वों से आरोपी पक्ष ने इनकार नहीं किया है, ना ही आरोपी पक्ष की ऐसी कोई दलील रही है कि तथाकथित वीडियो में जिस व्यक्ति द्वारा अभिव्यक्ति की जा रही है, वह व्यक्ति स्वयं आरोपी ना हो अथवा तथाकथित वीडियो को परिवर्तित / परिवर्धित / संशोधित अथवा काट–छांट करके अपलोड किया गया हो। **<u>हम तो यह भी स्पष्ट करना चाहेंगे</u>** कि यदि आरोपी पक्ष की किसी प्रकार की कोई बदयान्ति अथवा दुर्भावना न्यायपालिका की गरिमा को खंडित, लांछित व अपमानित करने की नहीं थी अथवा सद्भावना में अभिव्यक्त की गई थी तो भी न्यायालय द्वारा अभियुक्त को उसका पक्ष रखने का जो अवसर दिया गया है, उसके क्रम में वह असालतन / वकालतन लिखित रूप में अपने **<u>उक्त विवादित वीडियो के संबंध में पश्चाताप की भावना से माफी मांग कर तथाकथित विवादित वीडियो के अपलोड होने व किए जाने के विषय में खेद व्यक्त कर सकता था परंतु उसने इस विकल्प का चयन नहीं किया है।</u>** यह तथ्य भी रिकॉर्ड पर रखे जाने योग्य है कि आरोपी विकास दिव्यकीर्ति को न्यायालय का नोटिस प्राप्त होने के उपरांत उसके द्वारा न्यायालय में जवाब पेश किए जाने की

दिनांक तक तथाकथित व्यक्ति विशेष / संस्था विशेष / चैनल जिसके द्वारा तथाकथित वीडियो अपलोड करना बताता है, को आरोपी पक्ष की ओर से किसी प्रकार का कोई नोटिस भिजवाया गया हो या आरोपी का वीडियो अपलोड किए जाने में कठोर या साधारण आपत्ति प्रकट की गई हो, ऐसा भी कोई प्रमाण ना तो अभिलेख पर मौजूद है और ना ही आरोपी पक्ष ने अपने लिखित जवाब में प्रस्तुत किया है। यह तथ्य इसलिए भी अतिमहत्वपूर्ण है क्योंकि यह सर्वविदित है कि कोई भी व्यक्ति विशेषकर जब वह किसी संस्था के निदेशक/शिक्षक के रूप में आनलाईन/ओफलाइन शिक्षा के संदर्भ में कोई भी उद्बबोधन देता है तो उस उद्बबोधन को रिकॉर्डिंग किए जाने का संज्ञान उसे रहता है यहां तक कि संस्थान/निदेशक की अनुमति व स्वीकृति से ही रिकॉर्डिंग की जाकर समुचित फीस प्राप्त कर उसका सबस्क्रीप्शन विक्रय किया जाता है। एसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि वह व्यक्ति जिसने विडियो में उद्बबोधन दिया है उसे यह संज्ञान ना हो कि जो उद्बबोधन उसके द्वारा किया गया है वह प्रचारित प्रसारित नहीं होगा। हस्तगत प्रकरण में भी संभवतया आरोपी विकास दिव्यकीर्ति के संज्ञान में उक्त तथ्य रहे हैं। फलतः उपरोक्तानुसार ली गई आपत्ति भी अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

गौरतलब है कि आरोपी पक्ष की एक आपत्ति यह भी रही है कि भारतीय संविधान के तहत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मूल अधिकार के रूप में उसे प्राप्त है और इसलिए भी उसके विरुद्ध संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। इस संदर्भ में न्यायालय का विनम्र मत इस प्रकार है कि निश्चित रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 (1)(a) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता की गारंटी प्रत्येक भारतीय नागरिक को अवश्य ही दी गई है परंतु यह अनुच्छेद न्यायालय की अवमानना के संबंध में अपवाद भी व्यक्त करता है। गारंटीकृत अधिकार जिस पर भारतीय लोकतंत्र का काम-काज टिका हुआ है, निश्चित रूप से उसका उद्देश्य राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों को बदलने और मानव ज्ञान को बढ़ाने के लिए स्वतंत्र विचारों की

अभिव्यक्ति को संरक्षण देना है परंतु यह अधिकार कुछ निर्बंधनों के साथ प्रदत्त किया गया है। इस अधिकार की आड़ में कोई भी व्यक्ति / संस्था न्यायपालिका या न्यायाधीशों को अपमानित, लांछित अथवा बदनाम नहीं कर सकती है और ना ही किसी व्यक्ति को इस प्रकार सार्वजनिक रूप से वीडियो को प्रचारित–प्रसारित कर न्यायालयों/ न्यायाधीशों की निष्पक्षता व गरिमा पर हमला करने की छूट दी जा सकती है। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा in re; अरुंधति रॉय अवमाननाकर्ता बनाम .......... अवमानना याचिका संख्या 10/2001 निर्णय दिनांक 06.03.2002 एवं in re; प्रशांत भूषण बनाम न्यायालय, स्वप्रेरित प्रसंज्ञान अवमानना (दाण्डिक याचिका संख्या 01/2020) में स्पष्ट किया गया है। फलतः आरोपी पक्ष की उक्त दलील भी स्वीकार किए जाने योग्य प्रतीत नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

आरोपी पक्ष की एक दलील इस आशय की भी रखी गई है कि तथाकथित वीडियो से किसी विशिष्ट जज अथवा अधिवक्ता को लक्षित नहीं किया गया है ना ही परिवादी को लक्षित किया गया है, ऐसे में उसे हस्तगत याचिका दायर करने की और माननीय न्यायालय को याचिका में संज्ञान लेने की अधिकारिता नहीं है तथा इस संबंध में जो न्यायिक दृष्टांत आरोपी पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए हैं, उनका भी हमारे द्वारा ससम्मान अवलोकन किया गया है परंतु तथाकथित न्यायिक दृष्टांत में वर्णित तथ्य एवं परिस्थितियां हस्तगत प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों से भिन्न होने के कारण सादर अनुकरणीय नहीं है जबकि इस संबंध में हमारे द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत उनवानी पी. एन. डूडा बनाम पी. शिव शंकर व अन्य 1988 AIR 1208, 1988 SCR (3) 547 तथा ब्रह्मप्रकाश शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1953 SCR 1169 का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया है जिनमें प्रतिपादित सिद्धांतों के मुताबिक यह प्रतिपादित किया जा चुका है कि न्यायपालिका के खिलाफ सार्वजनिक रूप से अपमानजनक वक्तव्य भले ही किसी भी विशेष जज को लक्षित न किए गए हों तथा ऐसा कोई वक्तव्य जो संस्थागत रूप से न्यायपालिका के प्रति जनता का विश्वास

कमजोर करता है, ऐसे मामलों में न्यायालयों को स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेने की भी शक्तियां प्राप्त हैं जबकि प्रश्नगत मामले में तो न्यायालय के समक्ष परिवादी जो कि स्वयं रजिस्टर्ड अधिवक्ता है, के द्वारा याचिका सशपथ प्रस्तुत कर उस याचिका में वर्णित तथ्यों की ताईदी हेतु सरसरी सबूत व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी हमारे समक्ष पेश किए हैं और **न्यायालय के विनम्र मत में अधिवक्ता भी न्यायालय का कोर्ट ऑफिसर होता है।** प्रश्नगत वीडियो में स्पष्ट रूप से यह देखा जा सकता है कि आरोपी द्वारा संपूर्ण न्यायपालिका के विरुद्ध व्यंग्यात्मक रूप से अभद्र, अपमानजनक, अमर्यादित और मजाकिया लहजे में विशिष्ट भाव–भंगिमा को अभिप्रकट करते हुए शब्द विशेष का चयन अपने संबोधन में किया गया है जिसकी वीडियो में अभियुक्त द्वारा निम्नांकित शब्द विशेषों को अभिव्यक्त किया गया हैः–

1. **हाई कोर्ट जज बनने के लिए जुगाड़ करना होता है।** हाई कोर्ट जज बनने के लिए **पांच सौ गिद्ध पंक्ति में** होते हैं (निश्चित रूप से गिद्ध से तात्पर्य अधिवक्ता समुदाय से ही रहा है क्योंकि माननीय न्यायधिपति बनने के लिए पहली शर्त ही व्यक्ति का एलएलबी ग्रेज्यूएट एवं समुचित अनुभव का होना अपरिहार्य है) **न्यायपालिका में भाई–भतीजावाद होना भी आरोपी ने अभिव्यक्त किया है।**

2. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश जिन्हें डी.जे. कहकर संबोधित किया जाता है, के संदर्भ में **डीजे वाले बाबू शब्द पर विशेष जोर देते हुए वहां मौजूद लोगों** को संबोधित किया गया है जो उक्त शब्द विशेष के अभिव्यक्त किए जाने पर **हंसी उड़ाते स्पष्ट सुनाई दे रहे हैं।**

3. आरोपी ने अपने वीडियो में यह भी अभिव्यक्त किया है कि एस.पी., डिस्ट्रिक्ट जज को फोन करके व्यक्ति विशेष की बेल नामंजूर करने के लिए भी आमतौर पर सिफारिश करता है और फिर बेल नहीं मिलती हैं।

4– ज्यूडिशरी की सारी ताकत इस भरोसे पे है कि एसपी मेरी बात मानेगा। जज बोलेगा अरेस्ट करो। एस0पी0 कहता हैं, मैं नही करता खुद ही कर लो। सारी ताकत खत्म।

5. इस वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि किसी प्रकार से आरोपी द्वारा यह प्रकट किया गया है कि **अकेले में जिला जज को जिला एसपी द्वारा डांट भी दिया जाता है।**

हमें यह कहने में कदापि संकोच नहीं है की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में न्यायिक अधिकारियों तथा न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को बदनाम एवं अपमानित करने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। हर कोई व्यक्ति/ संस्था जो न्यायालय/ न्यायाधीश द्वारा किए गए आदेश / निर्णय से व्यथित हैं, वे कानूनी विकल्प का चयन नहीं कर सोशल मीडिया के माध्यम से न्यायपालिका/ न्यायाधीशों पर बेबुनियादी एवं आधारहीन मनगढ़ंत आरोप लगाकर स्वयं को सही साबित कर प्रसिद्धि प्राप्त करने पर उतारू हैं। छिपी हुई धमकियां, अभद्र व्यवहार, अपमानजनक भाषा का प्रयोग प्रश्नगत मामले की तरह न्यायपालिका पर दुर्भावनापूर्वक निंदात्मक हमला करते हुए न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर सवालिया निशान लगाया जाता है जिसके परिणामस्वरुप आमजन में न्यायपालिका के प्रति अविश्वास तथा संदेह उत्पन्न होता है और यह सब महज तुच्छ प्रसिद्धी प्राप्ति एवं सोशल मीडिया पर बेहतर रेटिंग प्राप्त करने की कुत्सित मंशा से किया जाता है। जैसा कि प्रश्नगत मामले में किया गया है।

प्रश्नगत मामले में जो आरोपी है, वह शिक्षक होना बताया गया है जो कि भारत देश की सर्वोच्च सेवा संघलोक सेवा आयोग/ यू.पी.एस.सी. की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाता है। निश्चित रूप से आरोपी का पद समाज का पथ–प्रदर्शक पद है। आरोपी के शब्द उन समस्त छात्र–छात्राओं पर जो उनसे ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन शिक्षा प्राप्त करते हैं, उन पर तथा समाज पर गहरा प्रभाव डालते हैं। उसके बावजूद यदि आरोपी द्वारा प्रश्नगत वीडियो में की गई अभिव्यक्ति जैसे विचारों के

माध्यम से सामाजिक संस्थाओं विशेषतः न्यायपालिका के प्रति लोगों के मन में अविश्वास उत्पन्न किये जाने का प्रयास किया जाता है तो यह नैतिक व सामाजिक रूप से अराजकता को बढ़ावा देने वाला कृत्य होते हुए कानून की दृष्टि में दंडनीय अपराध होने के साथ साथ न्यायपालिका के प्रति अनादर एवं अवमान को भी स्पष्ट रूप से इंगित, आर्कषित एवं परिलक्षित करता है और यह कृत्य मानहानि के संदर्भ में दिए गए हस्तगत आदेश में उपर्युक्त रूप से वर्णित अपवादों की श्रेणी में भी नहीं आता हैं।

हमारी सुदृढ़ राय में भारतीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग बेहद ही जिम्मेदारी के साथ किया जाए। स्वतंत्रता के साथ मर्यादा का निर्वाह भी उतना ही आवश्यक है। इस स्वतंत्रता की आड़ में संवैधानिक संस्थाओं की अखंडता, गरिमा एवं निष्ठा के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को भी नहीं दी जा सकती है।

स्वीकृत रूप से याचिका में प्रश्नगत वीडियो जो तीव्र गति से वायरल होना बताया गया है, इस वीडियो में अभिव्यक्त किए गए दुष्ट विचारों से व्यापक रूप से जनभावना विशेषतः कानूनी विशेषज्ञ एवं अधिवक्तागण और आम नागरिकों के मन में न्यायपालिका की निष्पक्षता, दृढ़ता एवं शुचिता के प्रति संदेह उत्पन्न होते हुए आम जनता का विश्वास डगमगाया है। क्योंकि वर्तमान तकनीकी युग में जनमानस के छवि पटल पर इस प्रकार के वीडियो का बेहद प्रभावी असर होता है विशेषकर जबकि वीडियो प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति द्वारा किसी टॉपिक पर बनाया गया हो, जैसा कि हस्तगत प्रकरण में देखने में आया है। तथाकथित वीडियो में अभिव्यक्त किए गए शब्दों एवं वाक्य के विषय में जब आरोपी को स्पष्टीकरण / पक्ष पेश करने का अवसर दिया गया तब भी आरोपी पक्ष द्वारा वीडियो में की गई अभिव्यक्ति का स्रोत, प्रायोजक, क्या विशिष्ट सामग्री उसके पास उपलब्ध रही है जिसके आधार पर उक्त वीडियो में अभिव्यक्तियां/कथन कहे गए हैं, यह आरोपी ने स्पष्ट नहीं किया है। ऐसे

में आरोपी का उक्त कृत्य भारतीय न्याय संहिता की धारा 356(2)(3) के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है।

उल्लेखनीय है कि प्रसंज्ञान के स्तर पर किन तथ्यों पर विचार किया जाना चाहिए, इस संदर्भ में **न्यायिक दृष्टान्त AIR 1976 sc page 1947 Smt. Nagawwa Vs. Veeranan Shivalingappa Konjalgi and ors. & RLW 2002(04) Raj. 2035 Suresh Chandra Vs. State of Rajasthan में भी माननीय उच्चतम/उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित** किया है कि प्रसंज्ञान की अवस्था में न्यायालय को यह देखना होता है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला बनना पाया जा रहा है या नहीं। न्यायालय को इस बिन्दु पर भी यह विचार नहीं करना होता है कि उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त की दोषसिद्धि संभव हो पायेगी या नहीं। इस स्टेज पर अभियुक्त को सुनने का कोई प्रावधान नहीं है।

इसी प्रकार **न्यायिक दृष्टान्त 2015 Cr., L. R. (SC) page 287 Sonu Gupta Vs. State of Haryana में भी माननीय उच्चतम/उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित** किया है कि at the stage of cognizance and summoning the magistrate is required to apply his judicial mind to find out whether prim a-facie case is made out. Defence is not required to be considered not he is required to evaluate the merits of the material or evidence of the complaint.

इसी प्रकार **माननीय उच्चतम न्यायिक निर्णय में प्रतिपादित किया है कि 2012 Criminal Law Reporter (SC) Page 179 Nupur Talwar Vs, CBI में प्रतिपादित** किया गया है कि at the stage of taking cognizance the Court has only to see whether Primafacie there are reasons for issuing the process and whether the ingredient of the offence are there on record.

इसी प्रकार **न्यायिक दृष्टान्त 2006 RLW (02) Rajasthan page 1710 Lok Housing and Constru ction Ltd. Vs. State of Rajasthan में भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित** किया है कि at the stage of taking cognizance of offense the material on record is examined on its face value. The question of consideration of other material does not arises at that stage.

इसी प्रकार **न्यायिक दृष्टान्त उनवानी Motilal Songara Vs. Prem Prakash @ Pappu & Anr. Criminal Appeal No. 785/2013 (Arising out of SLP (Cri.) No. 294/2013 decided on 16-05-2013** में भी यह प्रतिपादित किया गया है कि Magistrate is not bound to accept the final report filed by the investigation agencies- Magistrate can apply the mind independently to the materials contained in the police report and take cognizance exercising the powers.

गौरतलब हैं कि हाल ही में **माननीय राज0 उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा याचिका एस0बी0 क्रिमि0 अपील संख्या 1482/2023 उनवानी भुटाराम बनाम राज0 सरकार** में प्रसंज्ञान की अवस्था में किन तथ्यों पर विचार किया जाना चाहिए बाबत् प्रतिपादित किया हैं, इस अपील में पारित आदेश का पैरा संख्या 09 महत्वपूर्ण हैं, जो कि हस्तगत प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों पर हू-ब-हू चस्पा भी होता हैं, जिसमें माननीय राज0 उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया हैं कि:-

9. It is trite law that at the stage of taking cognizance, there is no need to do an in-depth analysis of the evidence or dive deep into the merits of the case. Neither meticulous examination of the evidence is required

to be done nor scrupulous discussion of the matter is warranted at the time of ascertaining whether to take cognizance of the offences alleged or not. At this juncture of taking cognizance, it is to be seen whether prima facie the alleged offences can be made out against the accused and at the same time, **the defence of the accused is not required to be considered or in other words, the probative value of defense evidence need not be ascertained. Whether the evidence is sufficient to base conviction can be decided only at the trial and not at the stage of taking cognizance.**

हमारे द्वारा उपरोक्त वर्णित समस्त न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मानपूर्वक अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया, से सुस्थापित वैद्यानिक स्थिति यही निकलकर सामने आती है कि प्रसंज्ञान के स्तर पर न्यायालय द्वारा अभिलेख पर मौजूद सामग्री का तार–तार करके मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित नहीं है, अपितु केवल इन तथ्यों पर विचार किया जाना है कि क्या अभिलेख पर मौजूद सामग्री तथा साक्ष्य की गुणवत्ता के आधार पर आरोपीगण के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किए जाने हेतु प्रथम दृष्टया तथ्य व आधार उपलब्ध है अथवा नहीं। इस स्तर पर यह कदापि नहीं देखा जाना है कि अभिलेख पर मौजूद सामग्री के आधार पर आरोपीगण की दोषसिद्धि हो पाएगी अथवा नहीं।

हमारे समक्ष लंबित हस्तगत प्रकरण में भी अभिलेख पर इस आशय की सुदृढ साक्ष्य प्रथमदृष्टया मौजूद है कि आरोपी विकास दिव्यकीर्ति ने साशय बदियान्तीपूर्वक महज तुच्छ प्रसिद्धी प्राप्ति हेतु न्यायपालिका जिसमें न केवल न्यायाधीश अपितु अधिवक्ता भी बतौर कोर्ट ऑफिसर सम्मिलित हैं, के प्रति कलंकात्मक, अपमानजनक एवं व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग करते हुए वीडियो को सनसनीखेज बनाने के दुराशय से इस प्रकार के शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण

न्यायपालिका का उपहास उड़ाया है जिससे न्यायपालिका से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा, निष्पक्षता एवं प्रतिष्ठा को क्षति कारित होते हुए न्यायपालिका की छवि एवं साख धूमिल हुई है और आमजन में न्यायपालिका के प्रति भ्रम, अविश्वास और संदेह उत्पन्न होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है एतदद्वारा उक्त विवेचना की रोशनी में आरोपी विकास दिव्यकीर्ति का उक्त कृत्य भारतीय न्यायसंहिता 2023 के तहत आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता हैं।

**::आदेश::**

फलतः परिवादी **कमलेश मण्डोलिया** की ओर से दायर परिवाद पत्र **आंशिक रूप से स्वीकार** कर अभियुक्त **विकास दिव्यकीर्ति (संस्थापक व प्रबंधक निर्देशक) संस्थान पता– दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्थान, 641, फर्स्ट फ्लोर, डॉ. मुखर्जी नगर, नई दिल्ली** के विरूद्ध अपराध अंतर्गत **धारा– 356(1)(2),(3)(4) भारतीय न्याय संहिता 2023 में वर्णित अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाता है।** प्रकरण दर्ज रजिस्टर फौजदारी किया जाये। परिवादी पक्ष गवाहान सूची पेश करें। परिवादी द्वारा चाहा गया अन्य अनुतोष अन्य आपराधिक धाराओं के संबंध में आवश्यक तत्व अभिलेख पर मौजुद ना होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। चूंकि आरोपी पक्ष द्वारा संज्ञान पूर्व स्तर पर प्रकरण में सुनवाई में भाग लिया हैं, अतः आगामी पेशी पर आरोपी को सशरीर उप0 रखा जाये, आदेश की अपालना की सूरत में विधि सम्मत आदेश पारित किये जायेंगे। पत्रावली वास्ते देखने पालना आदेश हेतु उभय पक्षों की सहमति के अनुक्रम में दिनांक .................. को पेश हो।

**( मनमोहन चंदेल )**
**अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक**
**मजिस्ट्रेट संख्या 02, अजमेर**

निर्णय आज दिनांक 08–07–2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया जाकर मुद्रांकित किया गया । जो अविलम्ब नियमानुसार सीआईएस पर अपलोड किया जावे। यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त आदेश में कुल 41 पृष्ठ है तथा प्रत्येक पृष्ठ पर मन् पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा अंकित हैं।

**( मनमोहन चंदेल )**
**अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक**
**मजिस्ट्रेट संख्या 02, अजमेर**